न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 28/2025

उनवान पुष्पा वगैरह बनाम दीवान सिंह वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

निर्णय

निर्णय दिनांक 26.06.2025

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि वादी ने गलत रूप से उक्त उनवानी दावा पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में इकरारनामा दिनांक 10/08/2001 के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि काननू में यह स्पष्ट स्थिति है कि विक्रय के करार के आधार पर कोई अधिकार हस्तांतरित नहीं किये जा सकते है। इसलिए वादी का यह वाद पत्र कानून द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा इकरारनामा के आधार पर वाद पत्र पेश किया है जिसके लिए राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है इकरारनामा की घोषणा के लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है इसलिए उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने की वजह से उक्त दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान के खिलाफ होने के कारण खारिज होने योग्य है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय खर्चे खारिज फरमाया जावें। खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर उक्त प्रार्थना पत्र सीधे बहस श्रवण किये जाने का निवेदन किया । निवेदन पर बहस सूनी गई । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में इकरारनामा दिनांक 10/08/2001 के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि काननू में यह स्पष्ट स्थिति है कि विक्रय के करार के आधार पर कोई अधिकार हस्तांतरित नहीं किये जा सकते है। इसलिए वादी का यह वाद पत्र कानून द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा इकरारनामा के आधार पर वाद पत्र पेश किया है जिसके लिए राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है इकरारनामा की घोषणा के लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है इस कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज होने योग्य है।वादी का वाद पत्र न्यायालय की वाद श्रवण क्षेत्राधिकारिता व विधि द्वारा वर्जित होने से प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1984 पेज न0 223 व 227 पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीया विकय इकरारनामा दिनांक 10.08.2001 के आधार पर वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। भूमि की किस्म कृषि भूमि है तो न्यायालय हाजा को वाद श्रवण करने का पूर्ण अधिकारिता है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से बिना की आधारउक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र दावा हाजा को लम्बीत रखने की नियत से बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण का वाद किस विधि से वर्जित है दर्ज नहीं किया गया है। इस कारण प्रतिवादी सं. 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण व अस्पष्ट होने से खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी गण का वाद पत्र में विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 04 ने प्रकरण में देरी करने के उदेश्य से गलत तथ्य दर्ज कर गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।दावा किसी भी विधि द्वारा वर्जित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे। समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के उनवानी अम्बालाल बनाम रामचन्द्र निर्णय दिनांक 02.02.2022 की प्रति पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :-

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थी (प्रतिवादी) की मुख्य आपति यह है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी पक्ष द्वारा केवल एक अंपजीकृत इकरारनामा लिखावट के आधार पर घोषणार्थ, बंटवारा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। अंपजीकृत इकरारनामा लिखावट के आधार पर राजस्व न्यायालय को वादग्रस्त भूमि में अधिकारों की घोषणा किये जाने की विधि के अनुसार क्षेत्राधिकारिता नहीं है। हमने मिसल का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का अध्ययन किया किया। प्रार्थी पक्ष का कथन न्यायोचित प्रतित होता है। अंपजीकृत इकरारनामा लिखावट के आधार पर अधिकारो की घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा की अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को ही है। अतः उक्त वाद पत्र न्यायालय हाजा की अधिकारिता में नही होने से वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है।

समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। वादी पक्ष अंपजीकृत इकरारनामा लिखावट के आधार पर घोषणार्थ, बंटवारा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सक्षम न्यायालय के यहां चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 28 / 2025 पुष्पा बनाम दीवान सिंह

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 26.06.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार होने से वाद वादी खारीज किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.06.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा